संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :(क) से (ग). वस्तुतः यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, पांच श्रमिक जो प्रिवेंशन डिटेन्शन के अधीन हवालात में रखे गये थे, की सेवाएं प्रबन्धकों द्वारा समाप्त कर दी गई थीं। पता चला है कि पांचों ही श्रमिक अप्रैल 19, में बहाल कर लिए गये हैं। जहां तक कार्यभार के बढ़ने के आरोप का संबंध है यह मामला मध्य प्रदेश की सरकार के ध्यान में लाया गया है।

Memorandum on Merger of C.C.W.O. with B.C.C.L.

1535. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Memorandum dated 11th April, 1977, submitted by Convener C.C.W.O. Co-ordination Committee, Hindustan Steel Ltd., Dhanbad regarding merger of Central Coal Washeries Organisation with Bharat Coking Coal Ltd., has been received;

(b) if so, the reaction of Government on the issues raised in the memorandum; and

(c) action proposed to be taken and the policy of Government in this regard?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): The entire question of restructuring Hindustan Steel Ltd., is under examination and the views expressed in the Memorandum will be duly considered while taking a final decision in the matter.

चूनापत्थर खानों में न्यूनतम मजूरी का भुगतान

1536. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी खानों के मजदूरी के लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी गई है, और यदि हां, तो पत्थर की खानों में काम कर रहे मजदूरों की न्यूनतम मजूरी की दर क्या है ;

(ख) क्या चूना पत्थर खानों के मजदूरों को न्यूनतम मजूरी मिल रही है और उन खानों के मालिकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जहां यह लाभ नहीं दिया जा रहा है ;

(ग) क्या सतना स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी लिमिटेड, सतना (मध्य प्रदेश) की चूनापत्थर खानों में काम कर रहे मजदूरों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उल्लंघन में इस समय दो रुपये प्रतिदिन की दर से मजूरी दी जाती है और यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है !

(घ) सरकार का विचार चूना पत्थर खानों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) ऐसी खानों के वर्गों का विवरण संलग्न है जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। मजदूरी दरें इस प्रकार है :—

अकुशल	5.80 रुपये प्रति दिन
अर्धकुशल	7.25 रुपये प्रति दिन
कुशल	8.70 रुपये प्रति दिन

(ख) : जी हां, उल्लंघन के मामलों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तथापि, कुछ चूना पत्थर मालिकों ने यह तर्क देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट-याचिका दायर की है कि पत्थर खानों